Export of chromite

1053. SHRI L. R. NAIK:
SHRI SATCHIDANANDA:
SHRI S. W. DHABE:

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state;

(a) whether Government have issued the quota in respect of chromite for the year 1978-79, if so, what is the quantity of chromite ore allotted for export;

(b) whether the export quota has been left to mine owners to negotiate with the foreign buyers; and

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG); (a) to (c) The export policy for Chrome ore for 1978-79 is being finalised in consultation with concerned Ministries.

स्टेट बैंक आफ इंडिया सम्बन्धी नागरवाला कांड

1054. **श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा में 1971 में हुए नागरवाला कांड की विभागीय जांच का नतीजा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि उक्त मामले में उस समय के खजांची श्री मल्होत्रा को सेवा से निकाल दिया गया था तथापि उसके पुत्र को नौकरी दे दी गई और उनके भाई को एक लाख रुपये का ऋण दे दिया गया; और

(ग) क्या श्री मल्होत्रा के पुत्र को नौकरी और उसके भाई को ऋण नियमानुसार दिया गया था ?

t[Nagarwala case pertaining to the State Bank of India

1054. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHL Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the outcome of the Departmental Enquiry held into the Nagar-wala case of 1971 pertaining to the Parliament Street Branch of the State Bank of India;

(b) whether it is a fact that while in the said case the services of Shri Malhotra, the then Cashier., were terminated, his son was given employment and his brother was given a loan amounting to rupees one lakh; and

(c) whether the employment given to Shri Malhotra's son and the loan granted to his brother were in conformity with the rules?]

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 24 मई, 1971 के उसके नई दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा से 60 लाख रुपये निकाले जाने के मामले में की गई विभागीय जांच के आधार पर मुख्य कोषाध्यक्ष श्री वी० पी० मल्होत्रा को भारतीय स्टेट बैंक की नौकरी से 10 नवम्बर, 1972 को बरखास्त कर दिया गया था । इसके अलावा, मुद्रा कोष के दो संयुक्त अधिरक्षकों (श्री एच० आर० खन्ना, रोकड़ लेखाकार और श्री आर० पी० बत्रा उप मुख्य-कोषाध्यक्ष) को असावधानी का दोषी पाया गया था, उन्हें दो वेतन वृद्धियां रोकने के रूप में दंडित किया गया था । सुरक्षा अधिकारी श्री एस० सी० सिन्हा की भर्त्सना की गयी थी